न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/337

भंवर लाल आत्मज गंगाराम जाति मीणा निवासी नाहरगंज पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. चौथमल आत्मज चन्दा जाति बैरवा निवासी बालापुरा पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. हरजी आत्मज चन्दा जाति बेरवा निवासी बालापुरा पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. हेमराज आत्मज चन्दा जाति बैरवा निवासी बालापुरा पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. केली बाई पत्नी चन्दा जाति बैरवा निवासी बालापुरा पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर महोदय, बून्दी ।
6. भूमिधारी तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 23.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 92(ए) के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम नाहरगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 274/617 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से 05 बीघा भूमि पर विगत 40–45 वर्षो से निरन्तर वादी का कब्जा चला आ रहा है । उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (4) के तहत उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 के कृषि

अधिकारों का कानूनन अवसान हो चुका है । प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 वादी से कब्जा प्राप्त करने का अधिकार अवधि बाधित हो गया है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी में से 05 बीघा भूमि पर से प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 का नाम विलोपित कर भूमि को राजकीय सिवायचक घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करे भूमि पर जबरन कब्जा एवं आधिपत्य नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया व वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर वाद वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सीपीसी की पालना किये बिना ही लोक अदालत में वाद वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89 के तहत एक दावा पेश किया था । प्रतिवादी के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया था काउन्टर क्लेम के जवाब में पत्रावली लम्बित थी और वादी अपीलान्ट की सहमति के बिना लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ और वाद वादी खारिज किया गया । पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्अ स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली लोक अदालत में रखी गई । लोक अदालत में प्रतिवादी हरजी और हेमराज उपस्थित हुए हैं । पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया है । वादग्रस्त आराजी में से 05 बीघा आराजी वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है । प्रतिवादीगण के अधिकार धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुके हैं । वादी वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादीगण के नाम को विलोपित करवा कर सरकारी सिवायचक घोषित करवाने की

प्रार्थना कर रहे हैं । इस प्रकार की कोई सहायता हक घोषणा के वाद में वादी द्वारा नहीं मांगी जा सकती । आराजी को सरकारी सिवायचक घोषित कराने की प्रार्थना लैण्ड होल्डर द्वारा ही की जा सकती है । वादी का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट ने धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली का दावा पेश किया था जिसको तहसीलदार के द्वारा डिक्री किया गया । इस निर्णय के खिलाफ अपील उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के समक्ष पेश की गई जो खारिज की जा चुकी है और माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी द्वितीय अपील खारिज की गई है । माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की अनुपालना में प्रतिवादी ने भूमि पर कब्जा कर लिया है और प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट भंवर लाल ने एक दावा धारा 88, 89 एवं 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है जिसमें यह कथन किया है कि ग्राम नाहरगंज में खसरा नम्बर 274/617 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से 05 बीघा भूमि पर उनका 40–45 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है । इस पर प्रतिवादी का कब्जा नहीं है । प्रतिवादीगण के अधिकार धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुके हैं । उनका नाम जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है वो प्रभावशून्य है । आराजी को सिवायचक दर्ज किया जावे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें ।

10. वादी ने दावे के साथ जो नकल जमाबन्दी पेश की है उसमें खसरा नम्बर 274/617 की 13 बीघा 03 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है । प्रतिवादीगण ने जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम पेश किया है और उसमें वादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब उल जवाब में लम्बित थी और इसमें दिनांक 06.07.2011 की तारीख दी गई और इससे पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित हुए हैं और प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी कम 1 व 2 उपस्थित हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है और वादी को उसी दिन स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे ।

11. जहॉ तक वादी के दावे का प्रश्न है वादी ने हक घोषणा का दावा पेश कर वादग्रस्त आराजी को सरकारी सिवायचक घोषित कराने की प्रार्थना की है और अपने पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है । आराजी को सरकारी सिवायचक घोषित कराने की प्रार्थना लैण्ड होल्डर द्वारा ही की जा सकती है । वादी के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता भी चाही गई थी जो खातेदार कृषक को ही प्रदान की जा सकती है किसी अन्य व्यक्ति को नहीं । इन तथ्यों के आधार पर दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा खारिज किया है ।

12. जहॉ तक प्रतिवादीगण जो कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं उनके पक्ष में जारी स्थायी निषेधाज्ञा का प्रश्न है उनके काउन्टर क्लेम को स्वीकार करने से पूर्व सीपीसी की पालना किया जाना आवश्यक है । तद्नुसार वादी को जवाब उल जवाब का अवसर देते हुए तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लोकर ही प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम के बाबत् निर्णय पारित किया जा सकता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काउन्टर क्लेम बाबत् त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.05.2017 में इस प्रकार से संशोधन किया जाता है कि दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये काउन्टर क्लेम पर वादी को जवाब उल जवाब का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से तनकीयात कायम कर, उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से काउन्टर क्लेम पर पुनः निर्णय पारित किया जावे ।

14. निर्णय आज दिनांक 23.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.8.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा